तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 90/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/214) बअनवान गोपाराम व अन्य बनाम गंगाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर. ए. एस.)

गोपाराम व अन्य

बनाम

गंगाराम इत्यादि

उपस्थित

1. श्री उम्मेसिंह बावरला अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री अनोपसिंह सोलंकी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 15

आदेश

दिनांक 05.03.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर शेरगढ द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2017 अनवान गंगाराम बनाम उमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11 मई 2018 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 26 मार्च 2021 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तत्पश्चात विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की अपील पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस करते हुए बताया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि खसरा नं. 549 रकबा 31.12 बीघा, खसरा नंबर 584 रकबा 33.05 बीघा, खसरा नंबर 527 रकबा 12.04 बीघा, खसरा नं. 599 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं. 600 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं. 604 रकबा 0.04 बीघा, खसरा नं. 603 रकबा 0.03 बीघा, खसरा नं. 604 रकबा 270.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

99 बीघा ग्राम देवगढ के रेकर्डेड सहखातेदार काश्तकार दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंट संख्या एक अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने पर उतारु है, इसलिए अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपारीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.01.2021 को जानकारी देने पर अपीलांट्स को प्रथमबार अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। इसलिए न्याय हित में अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए देरी को माफ किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 मई 2018 व आदेश दिनांक 28.11.2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 90/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/214) बअनवान गोपाराम व अन्य बनाम गंगाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। अपीलांट गोपाराम रेस्पोडेंट संख्या एक का सगा भाई है जो सुजाराम के गोद चला गया है। कानूनन गोदपुत्र को अपने प्राकृतिक पिता की संपति में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। रेस्पोडेंट संख्या एक की ओर से अपीलांट संख्या एक को अपने प्राकृतिक पिता से प्राप्त भूमि के संबंध में खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

मामले के गुणावगुण पर अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट गोपाराम स्व. आईदानराम का सगा भाई है। स्व. आईदानराम की फौतेदगी उपरांत वादग्रस्त आराजी अपीलांट को पुश्तैनी रूप से प्राप्त हुई है। अपीलांट के गोद

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

चले जाने से उसे प्राकृतिक पिता से प्राप्त भूमि के खातेदारी का निर्धारण मूल वाद में जरिये साक्ष्य होना है। मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी खुर्द-बुर्द न हो, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11 मई 2018 यथावत रखा जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर